प्राधिकृत अधिकारियों का प्रशिक्षण

आदित्य अग्निहोत्री
राज्य सलाहकार
राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 – कोटपा, 2003

संक्षिप्त परिचय

धारा	विषय
धारा 1	संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
धारा 2	संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा
धारा 3	परिभाषाएं
धारा 4	सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध
धारा 5	सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध
धारा 6	अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, और विशिष्ट क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिषेध
धारा 7	सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य तथा उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण पर निर्बन्धन
धारा 8	वह रीति जिसमें विनिर्दिष्ट चेतावनी दी जायेगी

धारा	विषय
धारा 9	वह भाषा जिसमें विनिर्दिष्ट चेतावनी अभिव्यक्ति की जायेगी
धारा 10	अक्षरों और अंको का आकार
धारा 11	निकोटीन तथा टार अंर्तवस्तु के परीक्षण प्रयोगशाला
धारा 12	प्रवेश करने और तलाशी की शक्ति
धारा 13	अधिग्रहण की शक्ति
धारा 14	पैकेज का अधिहरण
धारा 15	अधिहरण के बदले खर्च का संदाय करने का विकल्प देने की शक्ति
धारा 16	अधिहरण का अन्य दंडों मे बाधा न होना

धारा	विषय
धारा 17	न्यायनिर्णयन
धारा 18	अभिग्रहण किये गये पैकेजों के स्वामी को अवसर देना
धारा 19	अपील
धारा 20	विनिर्दिष्ट चेतावनी देने और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन करने में असफल रहने पर दंड
धारा 21	कतिपय स्थानों में धूम्रपान के लिए दंड
धारा 22	सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड
धारा 23	विज्ञापन तथा विज्ञापन सामग्री का समपहरण
धारा 24	कतिपय स्थानों में या अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेटों या किसी अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय के लिए दंड

धारा	विषय
धारा 25	धारा 4 और धारा 6 के अधीन अपराधों के निवारण, निरोध और विचारण का स्थान
धारा 26	कंपनियों द्वारा अपराध
धारा 27	अपराधों का जमानतीय होना
धारा 28	अपराधों का शमन
धारा 29	सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाही के लिए संरक्षण
धारा 30	अनुसूची में किन्ही तम्बाकू उत्पादों को जोड़ने की शक्ति
धारा 31	केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति
धारा 32	ऐसी सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों अधिनियम का लागू न होना जिनका निर्यात किया जाता है

धारा 4– सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध

1. सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि :

(क) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान न करे (उसके क्षेत्राधिकार/अन्तर्निहित के अधीन)

(ख) सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वार पर, यदि एक से ज्यादा प्रवेश द्वार हैं तो ऐसे प्रत्येक प्रवेश द्वार और उनके अन्दर सुस्पष्ट स्थान (स्थान) पर बोर्ड प्रमुख रूप में लगाया जाना चाहिए।

(ग) धूम्रपान को सुविधाजनक बनाने वाली किसी भी एस्ट्रे, माचिस, लाइटर या इस प्रकार की डिजाइन की गई वस्तु को सार्वजनिक स्थान पर उपलब्ध नहीं करवाया जाना चाहिए।

(2) सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी उस व्यक्ति (व्यक्तियों) जो इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, का नाम अधिसूचित करेगा और प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।

(3) यदि सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसा उल्लंघन सूचित करने पर कार्यवाई करने में असफल रहता है तो मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना अदा करने का जिम्मेदार होगा।

होटल, रेस्तरां एवं हवाईपत्तन में धूम्रपान से सम्बंधित

(1) तीस या अधिक कमरों वाले होटल या तीस व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां का मालिक, स्वामी, प्रबंधक या कार्य प्रभारी तथा हवाईपत्तन का प्रबंधक यथापरिभाषित धूम्रपान क्षेत्र अथवा स्थान की व्यवस्था कर सकता है।

(2) धूम्रपान क्षेत्र या स्थान होटल, रेस्तरा और हवाईपत्तन के प्रवेश द्वार या निकास द्वार पर स्थापित नहीं किया जाएगा और इसे अंग्रेजी तथा एक भारतीय भाषा जो लागू हो, में "धूम्रपान क्षेत्र" के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा।

(3) धूम्रपान क्षेत्र या स्थान का इस्तेमाल धूम्रपान के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा और कोई अन्य (सेवा) सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) तीस या अधिक कमरों वाले होटल का मालिक, स्वामी, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या कार्य प्रभारी निर्धारित तरीके से पृथक धूम्रपान कमरों को नामोद्दिष्ट कर सकता है।

''सार्वजनिक स्थान'' की परिभाषा

''सार्वजनिक स्थान'' से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जहां जनता की पहुंच हो, चाहे साधिकार हो या न हो और इसके अंतर्गत सभागार, अस्पताल भवन, रेल प्रतीक्षालय, आमोद केन्द्र, भोजनालय, लोक कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षिक संस्थाएं, पुस्तकालय, लोक वाहन, जन–सुविधा केन्द्र, खुला सभागार, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप/स्टैंड, समस्त कार्य स्थल, जलपान गृह, बैंक्वेट हॉल, डिस्को केन्द्र, कैंटीन, कॉफी हाउस, पब्स, बार, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, एअरपोर्ट लाउंज और ऐसे स्थान भी हैं जहां साधारण जनता को आना–जाना होता है, किंतु इसके अंतर्गत कोई खुला स्थान नहीं है

उल्लंघन करने पर दंड

धारा 21 के अनुसार

- जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से जो ₹200/- दो सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

- इस धारा के अधीन अपराध शमनीय होगा और उसका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संक्षिप्त विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।

चेतावनी बोर्ड की बनावट

यदि यहां कोई धूम्रपान करता है, तो कृपया निम्न अधिकारी को शिकायत दर्ज करायें

श्री.....................................पद.............................

फोन /मोबाइल नं0 ....

चेतावनी बोर्ड का विनिर्देशन

- बोर्ड न्यूनतम 60सेमी0 **X** 30सेमी0 आकार का सफेद पृष्ठभूमि का होगा ।
- इसमें कम से कम 15 सेमी0 बाहय का एक चक्र होगा जिसके कम से कम 3सेमी0 चौड़ी लाल परिमिति होगी, जिसके क्रेन्द्र में काले धुएं के साथ सिगरेट अथवा बीड़ी का चित्र होगा और यह लाल पट्टी से रेखित होगा ।
- सिगरेट के आर पार लाल पट्टी की चौड़ाई लाल परिमिति की चौड़ाई के बराबर होगी ।
- बोर्ड पर अंग्रेजी में अथवा किसी भारतीय भाषा में जो लागू हो चेतावनी होगी, श्धूम्रपान निषेध क्षेत्र – यहॉ धूम्रपान करना अपराध है।ष

धारा 6क –अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तथा उसके द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

- सिगरेट अथवा अन्य तम्बाकू उत्पाद के बिक्री स्थल का मालिक अथवा प्रबंधक अथवा प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि–

(क) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के बिक्री स्थल के प्रवेश द्वार परयथा विनिर्दिष्ट चेतावनी वाला एक बोर्ड लगा हो

(ख) वेंडिंग मशीन के जरिए कोई भी तम्बाकू उत्पाद न बेचा जाए

(ग) अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी तम्बाकू उत्पाद का न तो प्रहस्तन किया जाएगा अथवा न ही बेचा जाएगा

(घ) तंबाकू उत्पादों को इस तरीके से प्रदर्शित न किया जाए जिससे अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद सहजता से सुलभ हों।

2. इस बात को सिद्ध करने कि तम्बाकू उत्पाद का खरीददार अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं है, का उत्तरदायित्व तम्बाकू उत्पादों के विक्रेता का है तथा विक्रेता संदेह की स्थिति में खरीददार से अठारह वर्ष की आयु पूरी होने संबंधी उपयुक्त साक्ष्य अथवा आयु का प्रमाण प्रदान करने हेतु अनुरोध कर सकता है।

बोर्ड का प्रदर्शन

विकल्प–1

विकल्प–2

बोर्ड का आकार तथा चेतावनी

- बोर्ड का न्यूनतम आकार 60 सें.मी. X 30सें.मी. होना चाहिए जिसकी पृष्ठभूमि सफेद होनी चाहिए।
- बोर्ड पर भारतीय भाषा (भाषाओं) में, जैसा भी लागू हो, यह चेतावनी लिखी हुई हो ''अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है'' तथा स्वास्थ्य पर तम्बाकू उपयोग के दुष्प्रभाव का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया हो।

धारा 6ख – शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के दायरें में सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के बिक्री पर प्रतिबंध

(1) बोर्ड का प्रर्दशन– शैक्षिक संस्था के कार्यकलापों का मालिक अथवा प्रबंधक अथवा प्रभारी कोई व्यक्ति परिसरों के बाहर मुख्य स्थान (स्थानों) पर एक बोर्ड प्रदर्शित करेगा जिस पर सुस्पष्ट रूप से यह लिखा होगा कि शैक्षिक संस्था के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है

(2) दूरी की माप– 100 गज की दूरी को शैक्षिक संस्था की चारदीवारी बाड़ अथवा जैसा भी मामला हो, की बाहरी सीमा से त्रिज्य के आधार पर मापा जाएगा।

बोर्ड का प्रदर्शन

3'x2'

उल्लंघन करने पर दंड

धारा 24 के अनुसार

(1) कोई व्यक्ति, जो धारा 6 क तथा ख के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी होगा और जुर्माने से, जो ₹200/- दो सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन सभी अपराध शमनीय होंगे और उनका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संक्षिप्त विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।

अर्थदण्ड जमा करने का लेखा शीर्षक

वसूले गए अर्थदण्ड (माननीय न्यायलय अथवा किसी भी विभाग के द्वारा) को निम्न लेखा शीर्षक के उप–शीर्षक में जमा की जानी हैः

मुख्य शीर्षक	– 0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
उप मुख्य शीर्षक	– 04 लोक स्वास्थ्य
लघु शीर्षक	– 103 फीस और अर्थदण्ड आदि
उप शीर्षक	– 03 धूम्रपान प्रतिषेध के अधीन अर्थदण्ड

अर्थदण्ड की रसीद

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

अर्थदण्ड रसीद

रसीद क्रमांक............................ तिथि...

जिला ....

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 की धारा 4 / 6 का उल्लंघन तिथि....................................... स्थान................................. पर करते हुए पाये जाने के उपरान्त श्री... पिता का नाम...पता.. ....के द्वारा ₹ ....

शब्दों में ....

अर्थदण्ड स्वरूप प्राप्त किया।

उल्लंघनकर्त्ता के हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

"जिन्दगी चुनो, तम्बाकू नहीं"

चालान

उत्तराखण्ड शासन

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम 2003

चालान

चालान रसीद क्रमांक......................

जिला ....

तिथि..

1. दोषी व्यक्ति का नाम श्री..पिता का नाम...
   पता..
2. अपराध का दृश्य जिसमें तिथि, समय, स्थान सहित..
   ....
3. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 (2003 का 34) के तहत अपराध का विवरण...
4. जबकि आपके उक्त वर्णित अपराध के लिए एतद्द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है, अतः आपको श्री/श्रीमती/सुश्री...स्थान...की कोर्ट में तिथि.. को..बजे अपना उत्तर देने के लिए उपस्थित होना आवश्यक है, जब तक कि इस कोर्ट के द्वारा अन्य कोई आदेश जारी नहीं किए जाते।

   दोषी व्यक्ति के बाए हाथ के अंगूठे का निशान/ हस्ताक्षर..

   गवाहों के हस्ताक्षर नाम तथा पूरा पता सहित..

   प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पूरा पता सहित...

   प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

   ....

"जिन्दगी चुनो, तम्बाकू नहीं"

कार्यवाही करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति	कार्यवाही करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति
निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं	स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/स्टेशन हेड/स्टेशन प्रभारी
राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी	पोस्टमास्टर तथा ऊपर के अधिकारी
नोडल अधिकारी/जिला एवं राज्य स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के फोकल प्वाईंट	संस्था का प्रमुख/एच आर प्रबंधक/प्रशासन प्रमुख
निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा अधीक्षक /अस्पताल प्रशासक	हवाई पत्तन प्रबंधक/भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी तथा सभी अनुसूचित एयरलाईंस के अधिकारी
केन्द्रीय उत्पादकर/आयकर/सीमा शुल्क/बिक्रीकर /स्वास्थ्य/परिवहन के निरीक्षक एवं उनसे ऊपर के अधिकारी	पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के पुलिस अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी/अभिहित अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के राज्य औषिधि निरीक्षक/ वरिष्ठ औषिधि निरीक्षक/ औषिधि नियंत्रक
कॉलेज/स्कूल के हेड मास्टर/प्राचार्य/शिक्षक	पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि (सरपंच/पंचायत सचिव)
केन्द्र/राज्य सरकार के समस्त राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वायत्त संगठनो /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के समकक्ष रैंक और उनसे ऊपर के अधिकारी	जिला कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक–जिला स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय ग्रामींण स्वास्थ्य मिशन)
लाइब्रेरियन/सहायक लाइब्रेरियन/लाइब्रेरी प्रभारी/लाईब्रेरी के अन्य प्रशासनिक स्टाफ	जिला चिकित्सालय/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी
	रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार/लोक अभियोजक/सरकारी वकील/न्यायलय परिसर का प्रभारी
	विद्यालय निरीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी
	यातायात अधीक्षक/सहायक यातायात अधीक्षक/बस विराम स्थल अधिकारी/टिकिट संग्राहक या संचालक

धारा 5 – सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विज्ञापन, प्रोत्साहन, प्रायोजन पर प्रतिषेध

(1) किसी भंण्डारगृह या किसी दुकान, जहां सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय के लिए प्रस्थापना की जाती है, के प्रवेश–द्वार पर विज्ञापन के लिए प्रयुक्त बोर्ड का आकार साठ सेंटीमीटर **X** पैंतालीस सेंटीमीटर से अधिक नही होगा।

(2) ऐसे प्रत्येक बोर्ड पर किसी भारतीय भाषा में, जों लागू हो, निम्नलिखित चेतावनियों में से एक, बोर्ड के शीर्ष किनारे पर प्रमुख रीति से, जिसकी माप बीस सेंटीमीटर **X** पंद्रह सेंटीमीटर में होगी, अर्थातः–

(क) तम्बाकू से कैंसर होता है, या

(ख) तम्बाकू से मौत होती है।

(3) निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी प्रमुखता से प्रदर्शित, सुपाठ्य और सफेद पृष्ठभूमि पर केवल काले रंग से लिखी होगी।

(4) बोर्ड पर उपलब्ध तंबाकू उत्पादों के प्रकार की सूची होगी और बोर्ड पर ब्रांड पैकों के चित्र, तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड या अन्य अभिवृद्धिकारक संदेश या चित्र प्रदर्षित नही किए जाएगें। प्रदर्ष बोर्ड किसी रीति से पीछे से प्रकाशयुक्त या प्रदीप्त नहीं किया जाएगा।

Photographs

अर्थदण्ड तथा सजा

धारा 22 के अनुसार

(क) प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो ₹1000/–(एक हजार रूपए) तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, और

(ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो ₹5000/–(पांच हजार रूपए) तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(ग) अशमनीय तथा जमानतीय होगा

(घ) शिकायती केस (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

धारा 7–तम्बाकू उत्पाद पैकेज पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के चित्रण से सम्बंधित नियम

(1) कोई व्यक्ति, तब तक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, प्रदान या वितरण नहीं करेगा जब तक कि सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर, जो उसके द्वारा उत्पादित किया गया है, प्रदाय किया गया है या वितरित किया गया है, विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है, एक सचित्र चेतावनी सहित ऐसे निर्दिष्ट चेतावनी के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

(2) कोई व्यक्ति तब तक सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का व्यापार या वाणिज्य नहीं करेगा जब तक कि सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर जिसका उसके द्वारा विक्रय, प्रदाय या वितरण किया गया है, विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है।

(3) कोई व्यक्ति तब तक मूल्यवान प्रतिफल के लिए या वितरण या प्रदाय के लिए या भारत में विक्रय के लिए सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों का आयात नहीं करेगा जब तक कि उसके द्वारा इस प्रकार आयातित सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है।

(4) ऐसे पैकेज के जिसमें सिगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद मूल्यवान प्रतिफल के लिए वितरण, विक्रय या प्रदाय हेतु पैक किए गए हैं वृहत्तम पैनलों में से कम–से–कम एक पैनल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी दृश्यमान होगी।

(5) कोई भी व्यक्ति, सिगरेटों या किन्ही अन्य तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उत्पादन, प्रदाय या वितरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके द्वारा उत्पादित, प्रदाय किए गए या वितरित, यथास्थिति, सिगरेटों या किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज पर या उसके लेबल पर निकोटीन और टार अंतर्वस्तु को उसकी अधिकतम अनुज्ञेय सीमा सहित उपदर्शित न किया गया हो, परंतु निकोटीन और टार अंतर्वस्तुएं उसकी अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा से, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं अधिक नहीं होंगी।

चेतावनी

(1) विभिन्न प्रकार के धूम्रपान वाले तम्बाकू पैकेजों के लिए

(a)

(b)

(c)

(2) विभिन्न प्रकार के चबाने जाने वाले अथवा धुंआरहित तम्बाकू पैकेजों के लिए

(a)

(b)

अर्थदण्ड तथा सजा

धारा 20

- (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या ऐसे तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन या विनिर्माण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में,कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो ₹5000/– (पाँच हजार रूपए) तक का हो सकगा अथवा दोनों से, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो ₹ 10000/– (दस हजार रूपए) तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

- (2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या तम्बाकू उत्पादों का विक्रय या वितरण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो ₹ 1000/– (एक हजार रूपए) तक का हो सकेगा अथवा दोनों से तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो ₹ 3000/– (तीन हजार रूपए) तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

धारा 5 तथा 7 हेतु प्राधिकृत अधिकारी

इन प्राधिकारियों के पास कोटपा, 2003 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत प्रवेश करने, खोज करने और जब्त करने की शक्तियां होगी:

क्रमांक	पदनाम	विभाग
1	सीमा–शुल्क और उत्पाद शुल्क के अधीक्षक व इसके ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी	राजस्व विभाग
2	बिक्री कर/स्वास्थ्य/परिवहन विभागों के निरीक्षकों अथवा इससे ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी	राज्य का राजस्व/स्वास्थ्य/परिवहन विभाग
3	कनिष्ठ श्रम आयुक्त एवं इससे ऊपर	श्रम विभाग
4	संयुक्त निदेशक	उद्योग/लघु उद्योग आयुक्त का कार्यालय
5	पुलिस/राज्य खाद्‌य एवं औषध प्रशासन का उप–निरीक्षक और इसके ऊपर का एवं पुलिस उप–निरीक्षक के रैंक के समतुल्य कोई अन्य अधिकारी	बींज एवं औषध विभाग एवं गृह कार्य विभाग

धारा 5 तथा 7 के लिए प्रवर्तन प्रक्रिया

1. प्राधिकृत अधिकारी स्वतः या धारा 5 अथवा 7 के उल्लंघन की प्राप्त सूचना के आधार पर खोज तथा जब्त किये गये सामान को ले जाने के लिए एक छापामार दल के गठन के बाद आगे बढ़ना होगा। (धारा 12 तथा 13 को देखे)

2. छापा मारने वाली टीम में स्वयं प्राधिकृत अधिकारी के साथ दो स्वंतत्र गवाह तथा एक पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक के समतुल्य हो (वैकल्पिक) को शामिल करेगा।

3. धारा 5 या 7 के उल्लंघन के संदेह के कारण पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दल के साथ परिसर में प्रवेश तथा खोज करेगा।

4. जहाँ प्राधिकृत अधिकारी को अपराध प्रतीत होने के कारण विश्वास होता है, प्राधिकृत अधिकारी उल्लंघन उत्पादों को जब्त करेगा (जैसे कि सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों की विज्ञापन सामग्री, तम्बाकू उत्पाद, पैकेज आदि)

5. प्राधिकृत अधिकारी को जब्त किये गये सामान की जब्ती ज्ञापन/रसीद को परिसर के प्रभारी/ मालिक/ निवासी को देना आवश्यक होगा।

6. पंचनामा को दो गवाहो की उपस्थिति में तैयार किया जायेगा, जो अपने बयान में जब्त किये गये सामान तथा स्थान का वर्णन करेंगे। (परिशिष्ट–1) जब्त किये गये सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद की विज्ञापन सामग्री/पैकेज/सामान को सील करके रखा जायेगा, जहॉ यह सील मालिक/ निवासी/ परिसर का प्रभारी तथा दो गवाहों की उपस्थिति में की जायेगी।

7. प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के पैकेज/विज्ञापन सामग्री/ सामान का अधिग्रहण किया गया है, अभिग्रहण की तारीख से नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए तब तक प्रातिधारण नहीं किया जायेगा। जब तक कि उस जिला न्यायाधीश का जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा अभिग्रहण किया गया था, ऐसे प्रतिधारण के लिए अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया गया है। (धारा 13 (2)को देखे)

8. प्राधिकृत अधिकारी को जब्त सामग्री की जब्ती के लिए, स्थानीय सीमाओं के भीतर मूल क्षेत्राधिकार के प्रमुख सिविल कोर्ट के जिला न्यायधीश के समक्ष, जिसके अधिकार क्षेत्र की सामग्री को जब्त किया गया था, प्रस्तुत करना होगा।

9. कोटपा, 2003 की धारा 7 के उल्लंघन के लिए, जब्ती किये गये सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के किसी पैकेज के मामले में, तब तक उसका न्यायनिर्णयन करने वाला न्यायालय, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसके स्वामी को अधिहरण के बदले में उसकी लागत का , जो अधिहत माल के मूल्य के बराबर होगी, संदाय करने का विकल्प दे सकेगा। (धारा 15 को देखे)

10. अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने या लागत का संदाय करने का निर्देश देने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद के पैकेज के स्वामी या ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में वह है, एक लिखित सूचना न दी गई हो जिसमें उसे उन आधारों की सूचना दी गयी हो जिन पर ऐसे पैकेज का अधिहरण करना प्रस्थापित है और उससे अधिहरण के विरूद्ध सूचना में विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर लिखित अभ्यावेदन करने का प्रतियुक्त का अवसर न दे दिया गया हो और यदि वह ऐसी वांछा करे, तो व्यक्गित रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उस विषय में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो। (धारा 18 को देखे) बिन्दु 10 तथा 11 केवल धारा 7 से सम्बंधित है।

11. अधिहरण या लागत का भुगतान करने के आदेश के बाद , प्रभावित व्यक्ति को किसी भी सजा से दीवानी न्यायालय की अदालत की सजा नहीं रोकता है। जिससे कोटपा के प्रावधानों के तहत या किसी अन्य कानून के तहत दोषी है। खोज तथा अधिहरण करने वाला अधिकारी, उस अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायेगा, जिस क्षेत्र में पंजीकृत की गयी आपराधिक शिकायत पर पुलिस अधिकारी अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्यवाही करेगा।

- प्राधिकृत अधिकारी कोटपा की धारा 20 या 22 के अंतर्गत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायत दर्ज करायेगा।
- प्राधिकृत अधिकारी को ध्यान रखना होगा कि यह अपराध कोटपा की धारा 5 और 7 के तहत किया गया है। इसके लिए सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण) नियम, 2004 तथा पैकेजिंग तथा लेबलिंग 2008 को देखे, यह अपराध शमनीय नहीं है।
- प्राधिकृत अधिकारियों को प्रत्येक अपराध के खिलाफ कार्यवाही तथा रिकार्ड करने की आवश्यकता है, कोटपा के अंतर्गत द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्ध की दशा में, सजा में बड़ोत्तरी की गयी है।

Appendix 1: Prototype of Panchnama

Panchnama dated __________

Whereas:
We ____________________

Sr. No	Name and parentage of Panch witnesses	Address	Age	Occupation
1				
2				

The above-mentioned Panchs on being called by Shri________________ __________________ ___________, the authorized officer of____________________, under the *Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003* and the ____________________Rules, 20_ _, in exercise of the powers under Section ______of the said Act, today came to the premises of Mr. ___________________________ , Address ____________________________ to search the said place, where there is a reason to suspect that the provisions of Section __ of the said Act read with the _______________________________Rules, 20_ _ has been or is being contravened.

We declare that the facts of the Panchnama mentioned herein are true and correct to the best of our observations and knowledge.

1. Signature of Accused Date Time
Name
Address

1. Signature of Witness Date Time
Name
Address

2. Signature of Witness Date Time
Name
Address:

Attachment: List of the Inventory taken in possession
Signature of Authorized Officer
Name Date Time Place

PROTOTYPE OF A SEIZURE MEMO

The Cigarette and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution), **Act 2003**

In exercise of the powers delegated to me under Section 12 and 13 of above act (COTPA2003) , I hereby seize/detain the under mentioned tobacco products/tobacco advertisements/ material Which contravenes the provisions of Section……………………………………….of COTPA 2003 at the premises of M/S……

…………………………………………………………

S. No.	Date and time	Name/Descriptions of Product	No. of Units	Remarks

Name and Address of the witnesses

Signature of vendor/dealer

The products detained/seized have been duly sealed and left in the custody of shri……….with the instruction not to tamper with seals and not to dispose of the products till further order.

Name and Address of the witnesses

Signature of vendor/dealer

Signature of Authority under COTPA 2003

PROTOYPE OF A COMPLAINT

IN THE COURT OF LD. CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

State Complaint through Member Secretary (State Level Committee for Tobacco Control cum Nodal Officer /In charge of the State Level Flying Squad for Tobacco Control) Directorate of Health Safety and Regulations

V/s

1 Sh.......... M/S ....Pan Shop,Shop No ....

2 M/S x............................ Though it's Prop./partners/

Complaint under section 22 readwith section 5 of The Cigarettes and Other Tobacco products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce ,Production supply and Distribution Act 2003 (COTPA 2003)

Respectfully Sheweth:-

1. That I .... is duly appointed In charge of the State Level Flying Squad for Tobacco Control Directorate of Health Safety and Regulations under **The Cigarettes and Other Tobacco products(Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce ,Production supply and Distribution Act 2003** for the area of the state of ....

2. That I inspected the shop of ....M/S .... Pan Shop,.. on .... at about .... and found Sh...M/S .... has displayed the colored board of advertisement of four square brand of tobacco products (photo enclosed)

3. That Sh. .... ,Sh. .... and Sh. .... all member of state level flying squad were present throughout the whole process inspection and witnessed the whole process.

4. That Challan were prepared on the spot, which were signed by the accused, as well as witnesses and by me.

5. That accused Sh..M/S .... had displayed an advertisement board of tobacco product on his shop which is prohibited under Section 5 of COTPA 2003 which is punishable under Section 22 of COTPA 2003. M/S .... though its Prop./partners/ is also liable under the Act .

It is therefore prayed that the accused person(s) be summoned and dealt in accordance with law.

In charge State Level Flying Squad for Tobacco control

List of Witnesses:-

1. .... Incharge State Level Flying Squad for Tobacco
2.
3.

List of Documents attached:-

1. Challan form
2. Photograph
3 Seizure/spot memo

In charge State Level Flying Squad for Tobacco control

धारा 4 के प्रभावी क्रियान्वयन के दौरान प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: क्या प्राधिकृत अधिकारी उल्लघंनकर्त्ता को रोक सकते है?

- हां, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषधे और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 25 के तहत, एक प्राधिकृत अधिकारी उल्लघंन करने वाले किसी व्यक्ति को सहयोग न करने तथा पहचान और पता का खुलासा न किए जाने पर रोक (डिटेन) सकते है। प्राधिकृत व्यक्ति उल्लधंनकर्त्ता को सबसे समीप मजिस्ट्रेट (समान्यतया मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट) के समक्ष शीध्रता से प्रस्तुत करेगा।

प्रश्न 2 : यदि दोषी व्यक्ति अर्थदंड देंने से मना कर दे, उस परिस्थिति में क्या करना चाहियें?

- अर्थदण्ड न देने के दो कारण हो सकते है, पहला उसके पास उस समय अर्थदण्ड के लिए धन न हो, ऐसी परिस्थितियों में उसके नाम और पते की पुष्टिकरण करके उसे निश्चित तिथि तथा स्थान पर निपटान का दिशा निर्देश देते हुए चालान दे देना चाहिए। दूसरा, अगर उल्लधंनकर्त्ता अपनी पहचान जाहिर करने से मना कर रहा हो तब प्राधिकृत व्यक्ति उल्लधंनकर्त्ता को रोक सकता है और समीप के मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल के लिए ले जा सकता है या उसके साथ के व्यक्ति अथवा परिसर के स्वामी से उल्लधंन कर्ता की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करके डाक के द्वारा चालान जारी कर सकता है।

प्रश्न 3 : क्या करें, अगर उल्लघंन कर्त्ता अपराध की जगह से पलायन कर जाए ?

- इस मामले में, सार्वजनिक स्थल के प्रभारी, स्वामी से व्यक्ति के व्यक्तिगत विवरण को जानने का प्रयास करें और उसके डाक पते पर चालान भेजें अगर प्राधिकृत व्यक्ति किसी विवरण को प्राप्त करने में असफल रहता है तो वह किसी "गुमनाम" व्यक्ति के नाम चालान काट सकता है जिसमें गुमनाम व्यक्ति का लिंग, सभांवित उम्र, भौतिक गुण जैसे लंबा, मध्यम, छोटी ऊंचाई, दाढ़ी या बिना दाढ़ी, काला, साफ या गेहुआं रंग तथा उल्लधंन कर्त्ता के कपड़े के स्टाइल तथा रंग का उल्लेख किया जा सकता है। अधिकृत व्यक्ति अपराध स्थल के बारे में भी विवरण देगा। चालान को मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भेजा जाएगा जहां कोर्ट द्वारा पुलिस को उल्लघंन कर्त्ता को खोजने का निर्देश प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 4 : क्या करे, यदि उल्लघंनकर्त्ता प्राधिकृत अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है?

- अगर उल्लघंनकर्त्ता प्राधिकृत अधिकारियों के साथ दुर्व्यहार करता है तो उल्लघंन कर्त्ता पर कर्तव्य में बाधा डालने का आरोप लगाया जा सकता है। अब उसका ट्रायल भारतीय दंड सहिता की धारा 186 के तहत किया जाएगा। उल्लघंन कर्त्ता को हवालात में रोका जा सकता है तथा उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन अगर उल्लघंन कर्त्ता पलायन करने में सफल हो जाता है और उसकी पहचान भी ज्ञात न हो तो उत्तर संख्या 3 की प्रक्रिया विधि का पालन किया जाएगा।

प्रश्न 5 : क्या कोर्ट में उल्लंघन करने का आरोप गलत साबित होता है तो प्राधिकृत अधिकारियों को गलत चालान काटने के आरोप में दंड दिया जा सकता है?

- सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 29 के तहत किसी प्राधिकृत अधिकारियों के खिलाफ अच्छी मंशा से किए गए कार्यवाही के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं की जाएगी ।

प्रश्न 5– जैसे कि होटल आदि में बार–बार उल्लघंन करने वाले उल्लघंनकर्त्ताओं पर क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है?

- होटल जैसे परिसरों के प्रभारियों, स्वामियों, प्रबधंकों द्वारा बार–बार उल्लधंन किए जाने को अपराधों का उपसमन (एबअेमेंट ऑफ ऑफेंसेस) माना जाएगा। आईपीसी की धारा 107 के अनुसार एबेटमेंट को जानबूझ कर किया गया कार्य अथवा प्रतिबंधित वस्तुओं का गैर कानूनी लोप के रूप में परिभाषित किया गया है। धूम्रपान मुक्त नियमों की धारा 4 का बार–बार उल्लघंन एबअेमेंट ऑफ ऑफेंस माना जाएगा। आईपीसी की धारा 109 और धारा 110 इसके लिए दंड का विधान देगें धारा 4 के उल्लधंन कर्त्ता को पुलिस द्वारा भी आईपीसी 1860 की धारा 268 के तहत लोक उपद्रव के लिए भी बुक किया जा सकता है जो कि आईपीसी की धारा 290 के तहत दडंनीय है। यह बताना है कि अगर कोई व्यक्ति लोक उपद्रव को बार–बार दोहराता (बंद के करने आदेश के बावजदू) है तो वह आईपीसी की धारा 291 के तहत जुर्माना या जेल अथवा दोनों का भागी हो सकता है। जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकती है। होटल के स्वामी पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

राष्ट्रीय टोल फ्री नम्बर के टोल फ्री सहायता लाइन/ऑन लाइन रिपोर्टिंग प्रणाली पर शिकायत की सूचना दी जा सकती है

1800 110 456

या जैसा नियमों में उल्लेख है, उस प्राधिकृत अधिकारी को भी शिकायत की सूचना दी जा सकती है।

सम्पर्क सूत्र

डा0 सुमन आर्य संयुक्त निदेशक/राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय देहरादून फोन – 07500111160	आदित्य अग्निहोत्री राज्य सलाहकार राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय देहरादून फोन – 08791000324

www.ukhfws.org

धन्यवाद